न्यायालय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, सी0बी0आई0 कोर्ट नं0–5, लखनऊ ।

CNR No UPLKO10123022022

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–7187 / 2022

शिवानी पुत्री लक्ष्मी नारायण, निवासी–ग्राम मलहा, थाना–दुबग्गा जिला–लखनऊ।
.....प्रार्थिनी / अभियुक्ता

बनाम्

उ0प्र0 सरकार .....विपक्षी / अभियोगी

अपराध संख्या–29 / 2022
धारा–457, 380, 411 भा0दं0सं0
थाना–दुबग्गा, जनपद लखनऊ।

दिनॉक–30.08.2022

1– प्रार्थिनी / अभियुक्ता शिवानी की तरफ से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 439 सी0आर0पी0सी0 मय शपथ पत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा मूल पत्रावली व संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक–27.05.2022 को समय 05.09 बजे वादी राजू पुत्र बाबू लाल द्वारा थाना दुबग्गा, लखनऊ में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक–26.05.2022 को सुबह करीब 3 बजे वादी के घर से मोबाइल ओप्पो एफ–11 व तकिया के नीचे से 3000 / –रुपये, जिसमें दो नोट 500 व 20 नोट 100 के थे, चोरी हो गये। दिनांक–10.05.2022 को वादी के दोस्त राजकुमार व सन्तराम पुत्रगण रघुवीर की स्प्रे मशीन व मोबाइल फोन ओप्पो 3–11 चोरी हो गया था। इसी की खोजबीन में वादी व उसके मित्र मलहा के पास निकलने वाले रिंग रोड के पास बातचीत करते हुए जा रहे थे। कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग दीपक अवस्थी निवासी–ग्राम मलहा थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ एवं पंकज निवासी ग्राम काकराबाद थाना माल जनपद लखनऊ खड़े होकर चार लोगों से बातचीत कर रहे थे। जब वादी पास पहुंचा तो देखा कि राजकुमार के घर से चोरी की गयी मशीन दीपक के हाथ में थी। वादी व अन्य लोग उनके पास पहुंचे, इससे पहले दोनों मोटरसाइकिल लेकर भाग गये। बाकी चार लोग भाग पाते, वादी व उसके मित्रों द्वारा पकड़ लिया गया। जब उन तीनों लोगों से पूछतांछ की गयी, तो उन तीनों लोगों ने बताया कि उन लोगों के द्वारा ही सामान चोरी किया गया था। वे लोग सारा सामान दीपक अवस्थी पुत्र रमाकान्त अवस्थी व पंकज पुत्र राजेन्द्र को बेचते हैं। साहब इन चारों लोगों में जिसके नाम क्रमशः 1–धनंजय मिश्रा उर्फ पृथ्वीपाल पुत्र रविकान्त मिश्रा उर्फ मंगल, निवासी मलहा 2–अजीत रैदास पुत्र शंकर रैदास निवासी–जेहटा, 3–अर्जुन उर्फ सुख्खा पुत्र राजाराम गौतम निवासी–जेहटा व एक लड़की शिवानी पुत्री लक्ष्मी नारायण निवासी–ग्राम मलहा भी थी। जब वादी व अन्य लोग और पूछतांछ करने लगे तो शिवानी ने अपने हाथ की चूड़ियां तोड़ते हुए अपने गले पर निशान मार लिया। वादी व अन्य लोगों द्वारा उन लड़कों की तलाशी ली गयी तो क्रमशः धनन्जय मिश्रा की जेब से 800 / –रुपये एक नोट 500 व तीन नोट 100 / –रुपये, अजीत की जेब से 800 / –रुपये एक नोट 500 / –रुपये, तीन 100 / –रुपये, अर्जुन की जेब से 800 / –रुपये आठ नोट 100 / –रुपये व शिवानी द्वारा अपने पास से 100 / –रुपये के 6 नोट वापस कर दिये गये। पूछने पर बताया गया कि यह तीन हजार रुपये भी उनके द्वारा आज सुबह ही चोरी किया गया था तथा बाकी का मोबाइल दोनों व स्प्रे मशीन दीपक अवस्थी व पंकज अभी लेकर भाग गये हैं। चारों लोगों को पकड़कर थाने लाये हैं, आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

3– प्रार्थिनी / अभियुक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थिनी / अभियुक्ता पूर्णतया निर्दोष है और उसे इस प्रकरण के वादी से शत्रुता के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थिनी / अभियुक्ता उपरोक्त प्रकरण मु0अप0सं0–29 / 2022 थाना–दुबग्गा जिला–लखनऊ में दिनांक–27.05.2022 से जिला जेल में है। उसे प्रकरण के वादी राजू रावत से शत्रुता के कारण झूठा फंसाया गया है। वादी सरकारी उचित मूल्य की दुकान का कोटेदार है और प्रार्थिनी / अभियुक्ता राशनकार्ड धारक है और परिवार की इकाई है। प्रार्थिनी / अभियुक्ता द्वारा अन्य वस्तुओं के साथ सोयाबीन रिफाइण्ड तेल मुफ्त में खरीदा है। राशन खरीदने के बाद कोटेदार प्रार्थिनी / अभियुक्ता का उत्पीड़न कर रहा है, जिसकी शिकायत प्रार्थिनी / अभियुक्ता ने एस0डी0एम0 मलिहाबाद से करने की धमकी दी इसलिए कोटेदार उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाकर बदला ले रहा है। प्रार्थिनी / अभियुक्ता के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थिनी / अभियुक्ता का असली नाम विजयलक्ष्मी रावत है और घर का नाम शिवानी है और अपने

दोनों नामों को जानती है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता छात्रा है और कक्षा 8 उत्तीर्ण किया है।। उचित मूल्य की दुकान के राशन कार्ड में प्रार्थिनी/अभियुक्ता का नाम क्रम संख्या–3 में विजयलक्ष्मी रावत उल्लिखित है और कोटेदार राजू रावत भी राशन कार्ड में उल्लिखित है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता को प्रस्तुत प्रकरण में काफी सोच विचार एवं अपने मित्र राजकुमार व संतराम से साजिश कर झूठा फंसाया गया है। सह–अभियुक्त अजीत रैदास एवं अर्जुन उर्फ सुख्खा विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0, कक्ष संख्या–4 द्वारा क्रिमिनल मिस0 केस संख्या–4614/2022 व क्रिमिनल मिस0 केस नं0–1412/2022 में दिनांक–14.06.2022 में स्वीकृत जमानत आदेश के अनुसार जमानत पर रिहा किये जा चुके हैं। प्रार्थिनी/अभियुक्त द्वारा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, षष्टम, लखनऊ कोर्ट नं0–30 के द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक–20.07.2022 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही किसी थाने में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता वाद के साक्षियों को कोई धमकी नहीं देगी, न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगी। प्रार्थिनी/अभियुक्ता अपनी विश्वसनीय जमानतें दाखिल करने को तैयार है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4– अभियोजन के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर से 3000/–रुपये व मोबाइल फोन की चोरी की गयी है तथा चोरी से सम्बन्धित माल अभियुक्ता एवं सह–अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद किया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत का विरोध है।

5– न्यायालय का मत है कि अभियुक्ता पर यह आरोप है कि उसने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी का एक मोबाइल फोन व 3000/–रुपये चोरी किया है। प्रस्तुत मामले में दौरान तलाशी अभियुक्ता के कब्जे से मात्र 600/–रुपये की बरामदगी होना पुलिस द्वारा दिखाया गया है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है व अधिकतम 7 वर्ष के दण्ड से दण्डनीय है। अभियुक्ता को पढ़ने वाली छात्रा बताया गया है और प्रस्तुत मुकदमा वादी कोटेदार की तरफ से, अभियुक्ता द्वारा राशन के सम्बन्ध में एस0डी0एम0 मलिहाबाद से कोटेदार की शिकायत करने की धमकी के पश्चात् दर्ज कराया गया है। अभियुक्ता दिनांक–27.05.2022 से जेल में निरुद्ध है। प्रस्तुत मामले के अन्य सह–अभियुक्तगण अजीत रैदास व अर्जुन उर्फ सुख्खा की जमानत पूर्व में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण), सी0बी0आई कक्ष संख्या–4, लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अभियुक्ता के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में थाने से अभियुक्ता का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं है। अभियुक्ता जनपद लखनऊ की स्थायी निवासिनी है, जिससे उसके फरार होने की सम्भावना नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों व मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये गुण दोष पर राय व्यक्त किये बगैर अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता शिवानी के द्वारा अपराध सं0 29/2022 अन्तर्गत धारा 457, 380, 411 भा0दं0सं0, थाना–दुबग्गा, जनपद लखनऊ के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता शिवानी द्वारा मु0 तीस–तीस हजार रू0 की दो विश्वसनीय जमानत प्रतिभू व समान धनराशि का निजी बंधपत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये–

(प्रेम प्रकाश)
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण
सी0बी0आई0 कोर्ट नं0–5,
लखनऊ।